संशोधित नियमावली

(1) संस्था का नाम :: पटेल शिक्षा समिति।
(2) संस्था का पता :: ग्राम व पोस्ट तेरवा, गौसगंज, जिला–हरदोई ।
(3) संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण भारतवर्ष ।
(4) संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

सदस्यता ::

इसमें वे सभी व्यक्ति सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तथा संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों में आस्था रखते हों, सदस्यता हेतु प्रबन्धक की अनुमति आवश्यक होगी।

आजीवन सदस्य::

जो व्यक्ति संस्था को निस्वार्थ भाव से एक मुश्त रूपया 1000/– नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेगा वह व्यक्ति संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

सामान्य सदस्य ::

जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु रूपया 101/–वार्षिक प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा ।

संरक्षक सदस्य ::

समाज के प्रतिष्ठित, सुशिक्षित एवं गणमान्य व्यक्ति जैसे विधायक, सांसद,कलाकार,पत्रकार, शिक्षाविद एवं अन्य प्रतिष्ठित व समाजसेवी व्यक्ति ,प्रशासनिक एव अन्य उच्च सेवाओं के व्यक्तियों को प्रबन्ध–कारिणी समिति के अनुमोदन से संस्था का संरक्षक सदस्य मनोनीत किया जायेगा ।

(5) सदस्यता की समाप्ति::

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
4. किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।
6. अविश्वास प्रस्ताव एवं त्याग–पत्र पारित होने पर।
7. बिना सूचना दिये लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर

(6) संस्था के अंग::

(अ) साधारण सभा।
(ब) प्रबन्धकारिणी समिति।

(7) साधारण सभा::
गठन ::

संस्था के आजीवन सदस्यों ,सामान्य सदस्यों एवं संरक्षक सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

श्यामा कुमार / [illegible] [illegible] विवेक कुमार

नवल किशोर

14—बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना ।
15—बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना व सुनाना ।
16—सदस्यों का नाम रजिस्टर पर लिखना ।
17—संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना।

कोषाध्यक्ष::

1—आय—व्यय का लेखा—जोखा रखना।
2—दान, चन्दा, सदस्यता शुल्क प्राप्त कर रसीद देना तथा प्राप्त धन बैंक में जमा करना।
3—समिति के आकस्मिक कार्य हेतु 5000/—रूपये तक नकद रखना।
4—प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
5—संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना।

(10) **संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया ::**

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन किया जायेगा।

(11) **संस्था का कोष ::**

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक/सहकारी बैंक/शेड्यूल्ड बैंक/पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन (आहरण) प्रबन्धक एवं अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

(12) **संस्था के आय—व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) ::**

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सुयोग्य आडीटर द्वारा कराया जायेगा ।

(13) **संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व**

संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबन्धक पर होगा या उसके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति पर होगा ।

(14) **संस्था के अभिलेख ::**

1. सदस्यता रजिस्टर।
2. कार्यवाही रजिस्टर ।
3. स्टाक रजिस्टर।
4. कैश बुक आदि।

(15) **संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।**

(सत्य प्रतिलिपि)

दिनांक :

हस्ताक्षर::

विवेक कुमार
श्याम कुमार सिंह
नवल किशोर